सं. जी-25011/1/2007-प्रशासन (एनबीओ)
भारत सरकार
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
(राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 12 मई, 2014

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)
शहरी विकास मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

विषयः-राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के वास्ते एचआर और मूल्यांकन के लिए शहरी सांख्यिकी (यूएसएचए) योजना के तहत राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) को 31,00,000/- (इकत्तीस लाख रुपए) का अनुदान।

महोदय,

मुझे भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) को एचआर और मूल्यांकन के लिए वर्ष 2014-15 हेतु शहरी सांख्यिकी (यूएसएचए) योजना के तहत आवास और भवन निर्माण संबंधी आंकड़ों के संचयन, परितुलन, संग्रहण और प्रसार संबंधी कार्यों हेतु 31,00,000/- (इकत्तीस लाख रुपए) के अनुदान विमोचन के अनुमोदन के बारे में बताने का निर्देश दिया गया है जो अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत है और आरएवाई के तहत क्षमता निर्माण कार्यों के जरिए निधि सहायता है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्तकर्ता का पदनाम और पता	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
1	सिक्किम	प्रधान सचिव सह विकास आयुक्त, नियोजन आर्थिक सुधार तथा एनईसीए, सिक्किम सरकार,	15.00

		ताशिलिंग सचिवालय, गंगटोक-737101	
2	दिल्ली	प्रमुख सचिव (योजना और वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, चौथा स्तर, कमरा नं. 401-02, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट नई दिल्ली-110002	16.00
		कुल (लाख में)	**31.00**

2. उपरोक्त विमोचन निम्नलिखित शर्तों के तहत है:-

क. उपरोक्त राशि को शहरी सांख्यिकी (यूएसएचए) योजना के तहत आवास और भवन निर्माण संबंधी आंकड़ों के संचयन, परितुलन, संग्रहण और प्रसार संबंधी कार्यों हेतु जारी किया गया है जो अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत है और आरएवाय के तहत क्षमता निर्माण कार्यों के जरिए यह कोष सहायता है।

ख. कार्यान्वयन एजेंसी अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) द्वारा केन्द्रीय सहायता का उपयोग केवल और केवल उसी उद्देश्य से किया जाएगा जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।

ग. जीएफआर के प्रावधानों के तहत डीईएस को उन्हें जारी की गई राशि के अप्रयुक्त अंश वापस करने होंगे।

घ. डीईएस द्वारा एनबीओ को उपयोग प्रमाणपत्र भेजना होगा जो जीएफआर के प्रावधानों के तहत डीईएस के नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा।

ङ. स्वीकृत राशि का लेखापरीक्षण कराया जाएगा।

च. अगली विमुक्त राशि डीईएस द्वारा पिछले तिमाही आवास और भवन निर्माण के एकत्र और प्रेषित (ऑनलाइन) आवश्यक आंकड़े के आधार पर होगी।

3. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के डिमांड संख्या 058 के तहत खाते के निम्नलिखित शीर्ष के तहत रखा जाएगा।

मुख्य शीर्ष '2217'- आवास

गौण शीर्षः 05

उप-मुख्य शीर्षः 191

उद्देश्य (ऑब्जेक्ट) शीर्षः 07.04.31- वर्ष 2014-2015 के लिए सहायता अनुदान (योजना)

4. **आहरण एवं संवितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को इस राशि को चेक के माध्यम से निम्नानुसार प्रेषित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है:**

- **वित्त सचिव, सिक्किम सरकार, गंगटोक;**
- **पीएओ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

5. इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की स्वीकृति के साथ स्वीकृत राशि निर्गत की जाएगी, देखें डीवाई. संख्या 210/यूएस (आईएफडी)/एफडी/14, दिनांक 07.05.2014।

6. स्वीकृति को एनबीओ, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, वर्ष 2014-15 के स्वीकृति रजिस्टर के क्रमांक 1 में दर्ज किया गया है।

7. प्रमाणित किया जाता है कि इस परियोजना का कोई भी आवश्यक उपयोग प्रमाणपत्र लंबित नहीं है।

भवदीय,

ह/-

(वी. इतिराज)

उप निदेशक

फोनः 23063094

प्रतिलिपिः-

1. संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव (योजना)
2. सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) के निदेशक
3. सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महालेखाकार।
4. लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
5. सचिव (एचयूपीए) के पीएसओ/संयुक्त सचिव (जेएनएनयूआरएम एवं आरएवाई) के निजी सचिव/निदेशक (एनबीओ) तथा ओएसडी (जेएनएनयूआरएम एवं आरएवाई) के निजी सचिव/वित्त प्रभाग/बजट प्रभाग
6. गार्ड फाइल/स्वीकृति फोल्डर

ह/-

(वी. इतिराज)

उप निदेशक

फोनः 23063094

नोटः स्वीकृति आदेश <u>www.nbo.nic.in</u> से इस स्वीकृति आदेश को राज्य/डीईएस डाउनलोड कर सकते हैं